राजस्थान सरकार
**कार्मिक (क-3) विभाग**

**16 MAR 1998**

क्रमांकः प. 9(2)(155)कार्मिक/क-3/97 जयपुर, दिनांक

## <u>प रि प त्र</u>

**समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव,**
**समस्त विशिष्ट शासन सचिव,**
**समस्त संभागीय आयुक्त,**
**समस्त विभागाध्यक्ष (मय समस्त जिला कलक्टर)**

विषयः-**मृतक राज्य कर्मचारी/ अधिकारी के विरुद्ध जांच को समाप्त करने के क्रम मे।**

शासन के ध्यान में लाया गया है कि राज्य कर्मचारी/ अधिकारी की मृत्यु हो जाने के पश्चात् भी काफी समय तक उनके विरुद्ध जांच को समाप्त नहीं किया जाता है, जिससे राज्य कर्मचारी/ अधिकारी के आश्रितों को पेंशन प्रकरण का निस्तारण नहीं हो पाता है।

इस परिपत्र के द्वारा समस्त सम्बन्धितों को व्यादिष्ट किया जाता है कि मृतक राज्य कर्मचारी/ अधिकारी के विरुद्ध यदि कोई जांच लम्बित हो तो उसे तत्काल समाप्त करने की आवश्यक कार्रवाई करें, परन्तु एक से अधिक कर्मचारियों/ अधिकारियों की संयुक्त जांच होने की स्थिति में मृत राज्य सेवक के अलावा अन्य के संदर्भ में जांच कार्रवाई यथावत रहेगी।

**शासन उप सचिव**